उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1948

(03 अगस्त, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वन्दे मातरम् (देखिये नत्थी 'क')।

2-श्री सभापति, विधान परिषद्, सदन के दिनांक 03 अगस्त, 2026 से दिनांक 06 अगस्त, 2026 तक के तिथिवार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुति सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(संस्तुति की सूचना के लिए देखिये नत्थी 'ख')

3-प्रश्न (देखिये नत्थी 'ग' व 'घ')।

4-निधन के निदेश।

5-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

9-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

10-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

11-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

12-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

13-वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

14-वित्त मंत्री, प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के दिन-प्रतिदिन बदहाल होने के सम्बन्ध में सर्वश्री किरण पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, (डा0) मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाह आलम, मुकुल यादव व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक, महाविद्यालय, संस्कृत, अरबी, मदरसा विद्यालयों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद, ग्राम सभा-मखुवापुर के मजरा राजेपुरा में स्थित लखई घाट पुल (क्षतिग्रस्त) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री पवन कुमार सिंह व श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार के ग्राम जोगिया में परसोतिया सम्पर्क मार्ग से श्री शम्भु सिंह टोला, मौर्य टोला आदि होते हुये सरकारी ट्यूबवेल रामानन्द मौर्य के टोले तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के पड़ोस से बनेहटा जाने वाले मार्ग तथा वहां से भगवती से सदर की ओर जाने वाले सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री ऋषिपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-मुख्य मंत्री, सीतापुर-लखीमपुर मार्ग पर स्थित ननकारी से गौरा अर्जुनपुर, गद्दीपुर, तिकवापारा आदि होते हुए सीतापुर-शाहजहांपुर मुख्य मार्ग से जोड़कर एक नया बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-मुख्य मंत्री, जनपद अमरोहा में अमरोहा-पाकबड़ा राज्य मार्ग-78 पर कैलसा स्टेशन के निकट क्रासिंग फाटक संख्या-16सी पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार के ग्राम-सेखुई में छावनी चौराहे से डालतीमाता के स्थान तक के मार्ग का नव-निर्माण कराने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-महमूदाबाद में लखनऊ मार्ग की रेलवे क्रासिंग के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री राम तीर्थ सिंघल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई की तहसील-सण्डीला के विकास खण्ड-बेहन्दर के अन्तर्गत गौसगंज से नेवादा, तेरवा दहिगवां आदि मार्ग के गड्ढायुक्त एवं जर्जर होने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-ऊर्जा मंत्री, जनपद-बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र की राजनगर कालोनी गौसगंज सराय में बिजली के समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर महाराज सिंह व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत नगर पंचायत-ओयल में एक आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों में विद्युत बिल के भुगतान की कामर्शियल व्यवस्था बन्द करके घरेलू कनेक्शन के अनुसार भुगतान एवं भुगतान हेतु अनुरक्षण प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार के ग्राम-करमेल कुट्टी टोला से छितही सम्पर्क मार्ग का नव-निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अविलम्ब शासन स्तर पर धनराशि स्वीकृति प्रदान कर अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के ऊर्जा विभाग में शीर्ष प्रबन्धन द्वारा नियमों एवं शर्तों को ताक पर रखते हुये वर्तमान में 10-12 निदेशकों को लगातार नियमों के विरुद्ध सेवा विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में सेमरौना नकईल गायघाट मदनपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली में महमूदाबाद मार्ग की रेलवे क्रासिंग के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-नगर विकास मंत्री, प्रदेश के स्थायी निकायों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थान-स्थान पर दूषित पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-मुख्य मंत्री, जनपद शाहजहांपुर की तिलहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सिधौली के शाहजहांपुर पलिया नेशनल हाई-वे से ग्राम-मूढ़ा हारिस होते हुये ग्राम-बिलन्दपुर गद्दी तक खराब सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के छितही रामलक्षन कन्हौली मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

35-मुख्य मंत्री, जनपद अमरोहा के विकास खण्ड-जोया में एन0एच0-09 पर कस्बा रजबपुर से श्रीमद् दयानन्द कन्या महाविद्यालय, चोटीपुरा, काफरपुर रेलवे स्टेशन होते हुये अमरोहा को जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी

सिंह ढिल्लो व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-नगर विकास मंत्री, जनपद-आगरा के पंडित दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्द्रा योजना के सेक्टर-16 बी में भू-खण्ड संख्या-4 से अन्त तक सी0सी0 रोड एवं सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के नगर निगम जोन-5, हनुमान पुरी, गली नम्बर-8, वार्ड सरोजनीनगर प्रथम-10, तहसील-सरोजनीनगर में श्री सूर्य प्रताप सिंह के घर से महाबली ट्रेडर्स तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज विश्वकर्मा व श्री सुभाष यदुवंश, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-मुख्य मंत्री, जनपद-चित्रकूट में गुप्त गोदावरी मोड़ से बाबूपुर चकला से होकर सिमरिया जगन्नाथवासी के पीछे से पौसलहा पुरवा होते हुये छपरा से अमरावा भांटी के बगल से बरगदहा पुरवा विहारा भरथौल से रानीपुर मछरिया के पास लिंक एक्सप्रेस से मिलाते हुये भांगा के एन0एच0-35 तक एक बाईपास मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-ऊर्जा मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर की तहसील-पुवायां के ब्लाक-सिधौली के ग्राम-भूरखेड़ा में एक 133 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर गुप्ता व श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

40-मुख्य मंत्री, जनपद मऊ के विकास खण्ड-फतेहपुर मण्डाव के ग्राम पंचायत-परदहां, जमी परदहां के मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

41-नगर विकास मंत्री, प्रदेश में नगर पालिकाओं में विकास कार्य (सड़क, नाली, पेयजल आदि) की व्यवस्था एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

42-नगर विकास मंत्री, जनपद-वाराणसी के सिगरा क्षेत्र की शक्ति शिखा बिल्डिंग में शौचालय की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

43-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-पसगवां में चपरतला अण्डरपास से बाबे के स्कूल होते हुये आलियापुर तिराहे तक एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

44-नगर विकास मंत्री, जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधान सभा क्षेत्र में बिजौली व दादों इगलास विधान सभा क्षेत्र के गोण्डा एवं जनपद-हाथरस के सादाबाद विधान सभा क्षेत्र के बिसावर को नगर पंचायत का नवीन गठन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

45-नगर विकास मंत्री, प्रदेश के कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं लगभग सभी जनपदों में बन्दर एवं कुत्तों के कारण होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में श्री अरूण पाठक व डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

46-मुख्य मंत्री, जनपद अमेठी के जयरामपुर से रेभा सम्पर्क मार्ग के अत्यन्त जर्जर होने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

47-मुख्य मंत्री, जनपद-प्रयागराज के द्वारिका प्रसाद हीरावती लॉ कालेज, विकास खण्ड-बहरिया के ग्राम सभा-नसरपुर, मौहरिया, बुआपुर तक लिंक मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक

18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

48-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ में दुबग्गा बेगरिया, संतोष विहार कालोनी में श्री अमित कुमार त्रिपाठी के घर से श्री अशर्फी लाल के घर तक सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

49-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के विकास खण्ड-गौरी बाजार केन यूनियन मार्ग से भटौली चौराहे होते हुये लबकनी एवं भटौली चौराहे से कलावन गोरखपुर बार्डर तक के मार्ग की श्रेणी परिवर्तन कर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

50-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई के शाहजहांपुर मार्ग पर सहाका तीर्थ पुराना मन्दिर एवं संस्कृत विद्यालय की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

51-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ में स्वास्तिका सिटी, अहिमामऊ, सुल्तानपुर रोड पर नाले के किनारे मुस्कान टेपिल से लॉ कालेज रोड तक बसी कालोनियों में रोड व नाली बनाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

52-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा मऊदाउदपुर से मजरा ग्राम देवरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल सिंह व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

53-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के तहसील-सरोजनीनगर में न्यू गोडौरा, ट्रांसपोर्ट नगर में श्री अर्जुन लोधी के घर से श्रीमती शशि देवी के घर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी व डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान

परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

54-नगर विकास मंत्री, जनपद-मैनपुरी के दुर्गाकुंज कालोनी में श्री इच्छाराम द्विवेदी के घर के बगल से होते हुये आगे की ओर जा रही सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

55-मुख्य मंत्री, जनपद बाराबंकी के ग्राम-अगानपुर फतेहपुर रोड, विकास खण्ड-रामनगर में जर्जर एवं सकरे रेलवे पुल के बगल में निर्माणाधीन पुल को अतिशीघ्र पूर्ण कराकर चालू कराने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

56-मुख्य मंत्री, जनपद-मुजफ्फरनगर, तहसील-जानसठ के ग्राम-घटायन दक्षिणी से ग्राम-तखावली मार्ग का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी व श्रीमती वन्दना वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

57-मुख्य मंत्री, जनपद-उन्नाव के सोहरामऊ से भैसोर तिराहे तक जैतीपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

58-नगर विकास मंत्री, जनपद-वाराणसी की आवास विकास कालोनी, दौलतपुर पाण्डेयपुर क्षेत्र में वाराणसी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत निर्मित पार्कों के सौन्दर्यीकरण कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

59-ऊर्जा मंत्री, जनपद-उन्नाव के वार्ड संख्या-8 में पीताम्बर नगर स्कूल के पीछे श्री आशीष वर्मा के घर के पास से श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के मकान के मध्य विद्युत पोल लगवाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान

परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

60-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार, तहसील-रूद्रपुर के ग्राम पंचायत-अकटहिया उर्फ मटियारी के श्री जय सिंह पासवान के खेत से श्री राम सेवक मद्देशिया के अकटहिया खास टोला तक सम्पर्क मार्ग जर्जर होने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

61-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के बलदेव विहार, तेलीबाग में राहुल बेकरी के बगल से पार्क में लगे ट्रान्सफार्मर तक के जर्जर मार्ग को बनवाने तथा नाले को ढकवाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

62-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ में तेलीबाग के बलदेव विहार में श्री दिनेश पाल के मकान के सामने बने पार्क की समस्याओं का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

63-ऊर्जा मंत्री, जनपद-श्रावस्ती के विकास खण्ड-जमुनहा के अधिकांश ग्रामों में निम्न वोल्टेज की आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री साकेत मिश्रा व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

64-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के नगर निगम ऑडिटर्स एसोसिएशन के ऑडिट संवर्ग की विसंगतियों को दूर करे जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाठक व श्री साकेत मिश्रा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

65-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को हटाने/स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र प्रधान व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

66-मुख्य मंत्री, जनपद-बरेली के विकास खण्ड-बिधरी चौनपुर, विधान सभा क्षेत्र-भोजीपुरा में अधकटा बुनियादी बेगम न्यूड़ी मेवारानी कुंवर के मध्य छोटी बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहोरन लाल मौर्य व डा0 लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

67-मुख्य मंत्री, जनपद-अम्बेडकरनगर के ग्राम-बोदरा, विकास खण्ड-भियांव विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के तहसील-जलालपुर में श्री बनवारी गौतम के घर से दुर्गा मन्दिर होते हुये राम मन्दिर तक की रोड का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

68-मुख्य मंत्री, जनपद अमरोहा व मुरादाबाद को जोड़ने वाले अमरोहा-पाकबड़ा राज्य मार्ग-78 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

69-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-टडियावां के ग्राम-सैयापुरवा से ग्राम-नीर, विकास खण्ड-अहिरौरी तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

70-नगर विकास मंत्री, जनपद पीलीभीत की ग्राम पंचायत-माधौटाण्डा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

71-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के मनकामेश्वर मन्दिर, बी0एस0यू0पी0 आवास योजना के आवास संख्या-29/14 श्रीमती मंजू पत्नी श्री नीरज कुमार के आवास के कब्जे के सम्बन्ध में डा0 लालजी प्रसाद निर्मल व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

72-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, जनपद-रायबरेली के ऊंचाहार में एन0टी0पी0सी0 परियोजना से निकलने वाली राख का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश द्विवेदी व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

73-मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई की तहसील-सण्डीला के विकास खण्ड-कछौना में बालामऊ रेलवे लाइन से कलौली तिराहे तक की सड़क का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

74-मुख्य मंत्री, जनपद-कानपुर के आर्यनगर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई व श्री ऋषिपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

75-मुख्य मंत्री, जनपद-सीतापुर के महमूदाबाद के मीरानगर पब्लिक इण्टर कालेज तक पहुंचने वाली जर्जर सड़क का नव-निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री राम तीर्थ सिंघल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

76-ऊर्जा मंत्री, जनपद-कानपुर देहात के ग्राम-शाहजहांपुर निनायां, ब्लाक-सरवनखेड़ा में बिजली के खम्भों पर विद्युत केबिल डाले जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

77-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-कुम्भी के ग्राम सभा-सिकन्दराबाद में लखीमपुर, मोहम्मदी मार्ग से बढैयाखेरा गांव तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

78-मुख्य मंत्री, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख के ग्राम पंचायत-बेलहिया के पिपरोसा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकांत महेश्वरी व

श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

79-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के रूद्रपुर-करहकोल मार्ग पर गोर्रा नदी के ऊपर पिंडरा गांव पर बने पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

80-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के विधान सभा रूद्रपुर में जागिमा चौराहे से सिलहटा-करौता-पिपरा-कछार से नरायनपुर नगवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

81-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा नियमित भुगतान करने के बावजूद अगले विद्युत बिल में बकाया दर्शाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

82-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश में संचालित स्ववित्तपोषित विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को भी सहायता प्राप्त विद्यालयों की भांति बिना कोई शुल्क लिये राजकीय खर्चे पर विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

83-मुख्य मंत्री, जनपद देवरिया के रूद्रपुर करहकोल मार्ग पर गोर्रा नदी के ऊपर पिडरा गांव पर बने पुल की लम्बाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

84-ऊर्जा मंत्री, जनपद-फतेहपुर में श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 सत्य नारायण शुक्ल, निवासी ग्राम व पोस्ट-कौंह, विकास खण्ड-अंभौली, तहसील-बिन्दकी के खेत पर लगे ट्यूबवेल को संचालित किये जाने हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

85-ऊर्जा मंत्री, जनपद-चन्दौली के विकास खण्ड-शाहबादगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा-जिगना में 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को आबादी क्षेत्र से हटाकर मुख्य सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

86-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के नगर निगम, लखनऊ द्वारा कर निर्धारण में विसंगतियां होने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

87-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ के रिफार्म एवं मानव संसाधन इकाई एक के अनुभाग-1 में तैनात अधिशासी अभियन्ता श्री कौशलेन्द्र कुमार वर्मा (सी 21) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत उन्हें वहां से स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

88-मुख्य मंत्री, जनपद-सहारनपुर में हिंडन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती वन्दना वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

89-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के शासकीय अधिवक्ताओं की फीस एवं रिटेनशिप को बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

90-ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में तैनात अधिशासी अभियन्ता को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

91-नगर विकास मंत्री, जनपद-लखनऊ के गोमतीनगर व चिनहट से किसान पथ वैकल्पिक मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

92-नगर विकास मंत्री, जनपद-रायबरेली में स्थित नगर पंचायत लालगंज के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में श्री सी0पी0 चन्द, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

93-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-सिकन्द्राबाद, विकास खण्ड-कुम्भी गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

94-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सरैया, पोस्ट-सहसापुर, विकास खण्ड-ऐलिया जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

95-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कंडारी, विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

96-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार, विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

97-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत नटकुर रोड, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

98-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड-18, तहसील सदर, जनपद-रायबरेली के निवासियों

की ओर से सड़क, सीवर लाइन, नाली, सोलर लाइट, मास्क लाइट व पानी की टंकी का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

लखनऊ :
सोमवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1948
(03 अगस्त, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

नत्थी 'क'

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्।।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।।
त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।।

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-परामर्शदात्री समिति ने अपनी दिनांक 02 अगस्त, 2026 की बैठक में सदन के दिनांक 03 अगस्त, 2026 से 06 अगस्त, 2026 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की संस्तुति की है :-

<u>अगस्त, 2026</u>

03 सोमवार

1-निधन के निदेश।

2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

3-विधायी कार्य।

04 मंगलवार

1-**<u>12:20 बजे अपराह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-विधायी कार्य।

05 बुधवार

1-विधायी कार्य।

2-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

06 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
****1**	**29-7-2026**
****2**	**29-7-2026**

नत्थी 'ग'

सोमवार, दिनांक 3 अगस्त, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद-जौनपुर, तहसील-शाहगंज, ग्राम सभा-तिघरा बाजार में क्षमता के अनुसार ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — ऊर्जा मंत्री

**1-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सभा-तिघरा बाजार, तहसील-शाहगंज, जनपद-जौनपुर में तिघरा बाजार में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है, जो आये दिन खराब हो जा रहा है, जिस कारण स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुए 100 के0वी0ए0 का कराये जाने का अनुरोध जनपद के अधिकारियों से किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवाकर सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-नवाबगंज के ग्राम पंचायत-सेरसा में ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 2 — ऊर्जा मंत्री

**2-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-नवाबगंज के ग्राम पंचायत सेरसा में पानी की टंकी के पास 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है, जिस कारण क्षमता कम होने से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ?

(ख) उक्त ग्राम पंचायत-सेरसा में लगे 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर के स्थान पर लोड के अनुसार 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवाकर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ठीक करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	10-4-2026
*2	10-4-2026
*3	10-4-2026
*4	15-4-2026
*5	21-4-2026
*6	21-4-2026
*7	21-4-2026
*8	21-4-2026
*9	21-4-2026
*10	22-4-2026
*11	22-4-2026
*12	22-4-2026
*13	22-4-2026
*14	22-4-2026
*15	22-4-2026
*16	22-4-2026
*17	22-4-2026
*18	22-7-2026
*19	22-7-2026
*20	22-7-2026
*21	22-7-2026
*22	27-7-2026

अतारांकित प्रश्न

1	10-4-2026
2	10-4-2026

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
3	10-4-2026
4	10-4-2026
5	10-4-2026
6	10-4-2026
7	10-4-2026
8	10-4-2026
9	10-4-2026
10	10-4-2026
11	10-4-2026
12	10-4-2026
13	10-4-2026
14	10-4-2026
15	10-4-2026
16	15-4-2026

संख्या प्रश्न	प्राप्त होने की तिथि सरकार को भेजने/
17	15-4-2026
18	15-4-2026
19	15-4-2026
20	15-4-2026
21	15-4-2026
22	15-4-2026
23	15-4-2026
24	15-4-2026
25	15-4-2026
26	16-4-2026
27	16-4-2026
28	16-4-2026
29	16-4-2026
30	21-4-2026
31	21-4-2026
32	21-4-2026
33	21-4-2026
34	21-4-2026
35	21-4-2026
36	22-4-2026
37	22-4-2026
38	22-4-2026
39	22-4-2026
40	22-4-2026

नत्थी 'घ'

सोमवार, दिनांक 3 अगस्त, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

विगत वर्षों में पेंशन के अंशदान में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — वित्त मंत्री

*1-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि विगत वर्षों में पेंशन के अंशदान (Contribution) में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि इस प्रकार की अनियमितताओं की कोई जानकारी सरकार के संज्ञान में नहीं आई है ?

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा0 मान सिंह यादव
2

*2-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद-लखनऊ में गोमतीनगर एल्डिको ग्रीन्स कालोनी में आवास सं0-290 से 350 तक भूमिगत केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव
3

*3-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि गोमतीनगर, जनपद-लखनऊ में स्थित एल्डिको ग्रीन्स कालोनी में कितने बिजली के खम्भे जंग लगने के कारण नीचे से खराब हो गये हैं ? ऊर्जा मंत्री

(ख) उक्त कालोनी में आवास संख्या-290 से आवास संख्या-350 तक कितने खम्भे खराब हो गये हैं ?

(ग) उक्त आवास संख्या-290 से आवास संख्या-350 तक खराब खम्भों को बदलवा कर नये खम्भे लगवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(च) क्या गोमतीनगर, लखनऊ स्थित एल्डिको ग्रीन्स कालोनी में भूमिगत केबिल बिछाकर खम्भे में लगे तारों को हटाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(छ) यदि हाँ, तो उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करायेंगे ?

लखनऊ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों को गलत तरीके से अपर नगर आयुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप
4

*4-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के नगर निगम, लखनऊ में पशु पालन विभाग के अधिकारियों को गलत तरीके से अपर नगर आयुक्त बना दिया गया, जिससे मूल विभाग का कार्य बाधित हो रहा है और पशु कैटिल दस्ता निष्क्रिय बना हुआ है ? नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

(ग) क्या सरकार अधिकारियों को चिन्हित कर मूल विभाग का कार्य ही करने का निर्देश देगी ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहनवाज खान *5-[अन्तरित]

5

आजमगढ़ में वर्ष 2022-2023 व 2024 में खरीदे गये गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में

श्री शाह आलम 6

*6-(क) क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2022-2023 व 2024 में गन्ना किस रेट (दाम) में खरीदा गया तथा गन्ने का रेट पिछले वर्षों में कितना बढ़ा है ? — गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सिद्धार्थनगर में विद्युत वितरण खण्डों में लगे परिवर्तकों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 7

*7-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के सभी विद्युत वितरण खण्डों में 1000 KVA, 630 KVA, 400 KVA, 250 KVA, 100 KVA, 63 KVA, 25 KVA, 16 KVA तथा 10 KVA के कितने परिवर्तक विद्युत खण्ड अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सिद्धार्थनगर तथा बांसी खण्ड में लगाये गये हैं और उस पर कितने खर्च किये गये हैं ? — ऊर्जा मंत्री

(ख) क्या खर्च की गई धनराशि परिवर्तक के नाम पर प्राक्कलन धनराशि के विपरीत है ?

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) उक्त विद्युत खण्डों में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में जले हुए परिर्वतक कब-कब बदले गये तथा इनकी संख्या कितनी है और इन्हें कहां स्टोर किया गया है ?

(ङ) क्या उक्त की जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 8

*8-[राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण निरस्त]

जनपद मैनपुरी में नगर पालिका का कचरा जलाने या नष्ट करने के लिये लगे प्लाण्ट के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 9 — नगर विकास मंत्री

*9-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी में नगर पालिका का कचरा जलाने या नष्ट करने का प्लाण्ट लगा है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्लाण्ट आबादी (पब्लिक) क्षेत्र में लगा है या आबादी से बाहर लगा है ?

(ग) क्या उक्त प्लाण्ट से प्रदूषण हो रहा है या नहीं ?

(घ) यदि उक्त प्लाण्ट आबादी क्षेत्र में लगा है, तो उसे दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाराणसी नगर निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस शुल्कों में की गई वृद्धि के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 10 — नगर विकास मंत्री

*10-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाराणसी नगर निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लाइसेन्स शुल्कों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त वृद्धि के लिए शासन स्तर से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

(ग) उक्त वित्तीय स्वीकृति का विवरण क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो बिना शासन की स्वीकृति के इतनी अधिक वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या उक्त वित्तीय वृद्धि की समीक्षा कराने का विचार करते हुये व्यापारियों एवं आम-नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करायेंगे ?

जनपद-बलिया में ट्रांसफार्मरों को नया लगाने/बदलने के लिये दिये जाने वाले ठेके के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 11 — ऊर्जा मंत्री

*11-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया में ट्रांसफार्मरों को नया लगाने/बदलने का ठेका किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

(ख) क्या ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसका मुख्य कारण ठेकेदारों के पास टेक्निकल स्टाफ व संसाधन की कमी है ?

(ग) क्या इसकी जांच कराकर इन अप्रशिक्षित ठेकेदारों को हटाकर नये सिरे से कार्य आवंटित करने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, उ0 प्र0 में विकास कार्यों के शिलापट्ट/ पट्टिका में मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री, सदस्य, विधान परिषद् व अन्य का नाम प्रोटोकाल के अनुसार अनिवार्य रूप से अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 12 — नगर विकास मंत्री

*12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-6393/नौ-5-2025, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि विभाग की योजनाओं एवं वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए विकास कार्यों के शिलापट्ट/पट्टिका पर मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, विधायक तथा नामित सदस्य, विधान परिषद् सहित सभी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों के नाम प्रोटोकॉल के अनुसार अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या जनपद-वाराणसी में उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है तथा अनेक विकास कार्यों के शिलापट्टों पर पात्र नामित सदस्य, विधान परिषद् सदस्यों के नाम अंकित नहीं किये गए हैं ?

(ग) इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जायेगी तथा इसकी समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है ?

(ङ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जनपद-वाराणसी के सभी लम्बित एवं पूर्ण विकास कार्यों की जाँच कराकर शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कोई विशेष निर्देश जारी करने का विचार करेगी ?

(च) यदि हाँ, तो कब तक ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम पंचायत-जैतपुर, विकास खण्ड-राही, जनपद-रायबरेली में इण्टरलॉकिंग/डामरीकरण/सीवर लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 13	*13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-जैतपुर, विकास खण्ड-राही, जनपद-रायबरेली के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग/डामरीकरण/सीवर लाइन/दोनों तरफ नाली सम्बन्धी समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2026, जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री

सहारनपुर देहात के गांव गोकलपुर में ढमोला नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 14	*14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर देहात के गांव गोकलपुर में ढमोला नदी पर बने रपटों पर बरसात में भारी जलभराव होने के कारण आम जनता को हादसों का शिकार होना पड़ता है, जिस कारण बरसात में मेन रोड से गांव का सम्पर्क टूट जाता है, जिससे आम-जनमानस को बहुत कठिनाई होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पुल का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री

जनपद-आजमगढ़ के गाँवों में किसानों को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री शाह आलम 15	*15-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गाँवों में किसानों को कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? (ख) क्या जनपद आजमगढ़ में किसानों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की कोई कार्य योजना है ?	ऊर्जा मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सहारनपुर के खाता खेड़ी में मेन रोड की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 16 — नगर विकास मंत्री

*16-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के खाता खेड़ी में मेन रोड बहुत ही खराब स्थिति में है, जिसमें बरसात में जलभराव रहता है और वहां से होने वाले एक्सपोर्ट की गति रुक जाती है ?

(ख) क्या खाता खेड़ी में वुड कार्विंग का कार्य होता है, जिससे इस सड़क के बनने से वहां से होने वाले एक्सपोर्ट को गति मिलेगी ?

(ग) उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में बुनकरों को की जाने वाली बिजली आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री शाह आलम 17 — ऊर्जा मंत्री

*17-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में बुनकरों को कितने घण्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ?

(ख) क्या प्रदेश के बुनकरों को 24 घण्टे मुफ्त बिजली दिये जाने की कोई योजना है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-सलेमपुर, जनपद देवरिया, गोरखपुर जोन में वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2025-26 में बिजनेस प्लान के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 18 — ऊर्जा मंत्री

*18-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-सलेमपुर, जनपद देवरिया, गोरखपुर जोन में वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2025-26 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कितने रुपये का धन आवंटन किया गया है तथा कितने का प्राक्कलन तैयार कराकर कौन-कौन सा कार्य कराया गया ?

(ख) इस योजना के अन्तर्गत KVA के परिवर्तक एवं नई LT लाइनों का निर्माण कराकर प्राक्कलन के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि कितनी है ?

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है ?

(घ) क्या उक्त की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

न्यू दुर्गापुरी कालोनी, जनता विहार/वादरखेड़ा पावर हाउस रहमानखेड़ा, जनपद-लखनऊ में की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 19 — ऊर्जा मंत्री

*19-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि न्यू दुर्गापुरी कालोनी, जनता विहार/वादरखेड़ा पावर हाउस रहमानखेड़ा, जनपद-लखनऊ में दिनांक 18 मई, 2026 से दिनांक 22 मई, 2026, तक लाइट न आने के कारण स्थानीय जनता को विकराल परेशानियों का सामना करना पड़ा ?

(ख) क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 2026, जो कि आपको व मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित था एवं श्री कुँवर महराज सिंह, सभापति, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जाँच किये जाने के सम्बन्ध में समिति, उ0प्र0 विधान परिषद् का पत्र दिनांक 20 मई, 2026, जो कि प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित था, भी प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और क्या सम्बन्धित जिम्मेदार कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्या का स्थानीय नागरिकों को सामना न करना पड़े ?

(घ) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर के सहकारिता विभाग द्वारा की जाने वाली खरीददारी और ढुलाई के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 20 — सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*20-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 12-02-2026 जिसमें आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर के सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2023-2024 में की गई खरीददारी और ढुलाई के सम्बन्ध में जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को अपनी-अपनी टीपें आदेश दिनाँक 13-02-2026 में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ?

(ग) यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

मोहल्ला संजयगांधीपुरम, फैजाबाद रोड, जनपद लखनऊ में साँईं मेडिकल हाल के सामने वाली गली में जी-94A से कार्नर वाले मकान तक सड़क, नाली आदि बनवाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 21 | नगर विकास मंत्री

*21-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि मोहल्ला-संजयगांधीपुरम, फैजाबाद रोड, जनपद-लखनऊ में साँईं मेडिकल हाल के सामने वाली गली में जी-94A, ट्रान्सफार्मर से लेकर कार्नर वाले मकान तक (लगभग 100 मीटर) की सड़क अत्यन्त जर्जर अवस्था में है तथा नाली व सीवर का पानी ओवरफ्लो हो जाने से गन्दगी बनी रहती है, बरसात के दिनों में पानी घर के अन्दर तक आ जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) क्या उक्त स्थान के आस-पास की सड़क का पुनर्निर्माण हुआ है, किन्तु उपरोक्त जगह को छोड़ दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क, नाली, इण्टरलॉकिंग तथा सीवर की मरम्मत करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-चन्दौली के मुगलसराय में नेशनल हाई-वे से निकलकर इण्डस्ट्रियल फेज-1 के मार्ग पर सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग चौड़ीकरण व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह 22 | मुख्य मंत्री

*22-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय में नेशनल हाई-वे से निकलकर इण्डस्ट्रियल फेज-1 होते हुये एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग को जोड़ते हुये मार्ग पर भारी-भारी ट्रकों का आवागमन होता रहता है और

वर्तमान समय में मार्ग बहुत सकरा है, उक्त स्थान पर सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग चौड़ीकरण, सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र संख्या-एम0एल0ए0/26/सनी/एन0, दिनांक 26 मई, 2026 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ख) उक्त मार्ग पर सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग चौड़ीकरण व सड़क का निर्माण कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अशोक अग्रवाल 1	1-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि राजाजीपुरम, जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत सेक्टर-10 व 13 के मध्य भवन सं0-4004 सी ब्लॉक के सम्मुख 03 पार्कों का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता सदस्य व सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजा गया था ? (ख) उक्त क्षतिग्रस्त पार्कों की मरम्मत, पुताई, रंगाई तथा क्षतिग्रस्त झूलों आदि का कार्य कराने हेतु धनराशि स्वीकृत कर कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री अशोक अग्रवाल 2	2-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 मार्च, 2026, जो आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्रेषित राजाजीपुरम, लखनऊ के सेक्टर-10 व 13 के मध्य मुख्य मार्ग पर कार्यदायी संस्था द्वारा मेन रोड पर कूड़ा डाले जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जिला फेडरेशन लि0, प्रयागराज में अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु सचिव, जिला सहकारी फेडरेशन लि0, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 07 नवम्बर, 2025, जो कि सचिव, संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ को सम्बोधित था, के माध्यम से मार्ग-दर्शन माँगा था, प्राप्त हुआ है ?	सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो सचिव, संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा कब उक्त मार्ग-दर्शन प्रदान किया गया है और सम्बन्धित मृत कार्मिकों के परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति करा दी गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 4 — ऊर्जा मंत्री

4-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157250106472, दिनांक 17 जून, 2025 एवं नॉन आई0जी0आर0एस0 संख्या-सीबी 00070466580, दिनांक 18 फरवरी, 2026 के माध्यम से विशेष सचिव मुख्य मंत्री ने प्रबन्ध निदेशक मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0 को उपभोक्ताओं का बार-बार गलत बिजली का बिल आने एवं मीटर में नाम गलत आने से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त उपभोक्ताओं का मीटरों में नाम ठीक कराते हुए बिजली के बिलों को सही कराकर उक्त समस्या का समाधान करा दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक सम्बन्धित लापरवाह कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए उक्त समस्या का समाधान कराकर उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 5

5-[अन्तरित]

डा0 मान सिंह यादव 6

6-[अन्तरित]

डा0 मान सिंह यादव 7

7-[अन्तरित]

डा0 मान सिंह यादव 8 — नगर विकास मंत्री

8-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि गली नं0 2, वार्ड नं0 23, न्यू बस्ती, नगला निरंजन, जनपद-मैनपुरी में सूबेदार मेजर सुधीर यादव, किताब सिंह आदि लोगों के घर के सामने गई गली लगभग 150 मीटर आर0सी0सी0/

इण्टरलॉकिंग/नाली न होने के कारण कालोनीवासियों/राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग/नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 9	9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सीतापुर-लखीमपुर मार्ग पर स्थित ननकारी से गौरा अर्जुनपुर/गुराईपुर, गद्दीपुर, तिकवापारा, अमीरनगर, प्रतापपुर/खगेसियामऊ होते हुए सीतापुर-शाहजहाँपुर मुख्य मार्ग से जोड़कर एक नया बाईपास बनवायेंगे ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 10	10-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम-सुतुमनगर में कई वर्ष पूर्व बिजली लाइन का केबिल विभाग द्वारा डाला गया था जोकि इनके घर से निकट एवं अनिल कुमार वर्मा के मकान के सामने था, तबसे वह उसी अवस्था में है, कई बार केबिल जलने से बड़ा हादसा होते हुए बचा है, खुले तारों पर बिजली दौड़ रही है, साथ ही लगभग हर सप्ताह में केबिल जल जाता है, जिसके कारण विद्युत सप्लाई बाधित रहती है ? (ख) उक्त लाइन को ठीक कराये जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र सं0-442/BJPUP/2025, दिनांक 18-10-2025 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या ग्राम सुतुमनगर में विद्युत लाइन को ठीक करवायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 11	11-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-6393/नौ-5-2025, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के निर्गमन के पश्चात् नगर विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं वित्त आयोग की धनराशि से जनपद वाराणसी में विकास कार्य कराए गए हैं ?	नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 (अब तक) में कुल कितने विकास कार्य कराए गए हैं ?

(ग) उक्त का वर्षवार एवं योजना/मदवार विवरण क्या है ?

(घ) जिन कार्यों में शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है, उनका विवरण क्या है ?

(ङ) क्या सरकार भविष्य में सभी विकास कार्यों में उक्त शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कोई निगरानी तन्त्र/व्यवस्था लागू करने का विचार करेगी ?

(च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

डा0 मान सिंह यादव
12

12-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनता विहार कालोनी, बुद्धेश्वर, मोहान रोड, लखनऊ में किन-किन रोड व नालियों का दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 06 मार्च, 2026 तक निर्माण कराया गया है और किन-किन स्थानों पर उक्त कालोनियों में रोड व नाली निर्माण का आगणन तैयार कर लिया गया है और उनका कब तक निर्माण करायेंगे ? नगर विकास मंत्री

(ख) क्या उक्त कालोनी में ही सुनील कुमार दुबे के घर से मेन रोड तक लगभग 240 मीटर रोड व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2026, जो कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित था, भी प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त रोड व नाली का भी निर्माण करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
13

13-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में अहिमामऊ से चारबाग (वाया हजरतगंज चौराहा व सचिवालय) तक कितनी सिटी बसें संचालित हैं ? नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो संचालित बसों की संख्या कितनी है व समय-सारिणी क्या है ?

(ग) यदि बसों की संख्या कम हो, तो उक्त वी0 आई0 पी0 रोड व वहां की जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए जनहित में बसों की संख्या में वृद्धि करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 14 — 14-[अत्यधिक लम्बा होने के कारण निरस्त]

श्री अशोक अग्रवाल 15 — नगर विकास मंत्री

15-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत भवन कर निर्धारण आवासीय का अनुसूची में उल्लिखित अनावासीय किराये की दर पृथक-पृथक किस दर से निर्धारण किये जाने का प्राविधान है तथा उक्त प्राविधान कब से लागू है ?

(ख) क्या उक्त अनुसूची में उल्लिखित प्राविधानित दरों की सूची सदन के मेज पर रखते हुए बतायेंगे कि क्रमांक-01 से 10 तक अनुसूची में अन्य प्रकार के अनावासीय भवन, जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं यथा पुस्तकालय (लाइब्रेरी) इत्यादि विभिन्न प्रकार के अनावासीय भवन का उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना लिये जाने का प्राविधान है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या पुस्तकालय (लाइब्रेरी) इत्यादि विभिन्न प्रकार के अनावासीय भवनों का नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न जोनों में कार्यरत कर निरीक्षण द्वारा मनमाने ढंग से कर निर्धारण किया जा रहा है ?

(घ) क्या जनहित में इसकी रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश समस्त जोनल अधिकारियों को निर्गत करायेंगे ?

श्री आशुतोष सिन्हा 16 — 16-[अत्यधिक लम्बा होने के कारण निरस्त]

डा0 मान सिंह यादव 17 — 17-[अन्तरित]

श्री पवन कुमार सिंह 18 — नगर विकास मंत्री

18-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के नगर पंचायत-बक्शी का तालाब के चकगंजागिरि में आनन्द गिरि के घर से हनुमान मन्दिर तक की दूरी, जो लगभग 100 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं कच्चा है, जिससे निवासियों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 19	19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के ग्राम पंचायत-हरैय्या के अन्तर्गत भंडिया से रत्नापुर तिराहा वाया हरैय्या मार्ग पर लगभग 03 किमी0 मार्ग जिसकी चौड़ाई वर्तमान में बहुत कम रह गई है, जिससे वाहनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का चौड़ीकरण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 20	20-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के ग्राम पंचायत-हरैय्या के अन्तर्गत सुजातीपुर से तहसीलदार पुरवा तक का मार्ग जो लगभग 1.5 किमी0 है, जिसकी चौड़ाई वर्तमान में बहुत कम रह गई है, जिससे वाहनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का चौड़ीकरण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 21	21-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 08 अप्रैल, 2026 तक ग्राम-खिल्ली, तहसील-मोंठ, जनपद-झाँसी में कौन-कौन सी रोड व नाली का निर्माण किया गया है और उक्त कार्य अवधि में स्वीकृत कौन से कार्य शेष हैं और उनको कब तक पूर्ण करायेंगे ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री किरण पाल कश्यप 23	23-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन माल्दह के ग्राम सभा-बहुता चक उपाध्याय, निवासी वीरेन्द्र यादव पुत्र लाल बहादुर के घर के पास तिनमुहानी रोड पर निष्प्रयोज्य बिना तार के पोल लगे होने से रास्ता अवरुद्ध रहता है ?	ऊर्जा मंत्री

	(ख) क्या उक्त पोल को हटाने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को देंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 24	24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 08 अप्रैल, 2026 तक ग्राम-भावापुर दुबे पट्टी, तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में कौन-कौन सी रोड व नाली का निर्माण किया गया है और उक्त कार्य अगस्त, 2026 अवधि में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अवशेष हैं और उनको कब तक पूर्ण करायेंगे ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 25	25-[काल्पनिक प्रस्थापना के आधार पर निरस्त]	
डा0 मान सिंह यादव 26	26-(क) क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-खल्ली, तहसील-मोठ, जनपद-झाँसी में वन विभाग की कितनी भूमि है और उक्त भूमि में कितनी भूमि पर पौधारोपण किया गया है और कितनी भूमि खाली पड़ी है ? (ख) क्या खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
श्री किरण पाल कश्यप 27	27-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पंचायतों को वर्ष 2022 से लेकर अब तक वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि विकास व अनुरक्षण के नाम पर जारी की गयी है ? (ख) क्या वर्षवार जारी की गयी धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्रीमती वन्दना वर्मा 28	28-(क) क्या मुख्य मंत्री विधान परिषद् के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के क्रम में यह बतायेंगे कि लखनऊ विकास	मुख्य मंत्री

प्राधिकरण की रामनगर कालोनी, ऐशबाग योजना में आवंटित किन-किन भू-खण्डों की रजिस्ट्री किस-किस दिनांक को हुई है ?

(ख) भू-खण्डों के आवंटन तथा रजिस्ट्री के उपरान्त किस आधार पर विजिलेन्स जाँच कराई जा रही है ? उपरोक्त योजना स्थल पर किन नियमों के तहत अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है ?

(ग) वैध आवंटी को उक्त स्थल से अतिक्रमण हटवाकर कब तक कब्जा दिलवायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती वन्दना वर्मा 29 — मुख्य मंत्री

29-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की रामनगर कालोनी, ऐशबाग योजना में आवंटित भू-खण्डों के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच किस आधार पर, किन बिन्दुओं पर तथा किस तिथि से प्रारम्भ की गई है ?

(ख) उपरोक्त आवंटियों को विगत लगभग 23 वर्षों से उनके आवंटित भू-खण्डों का कब्जा क्यों नहीं प्रदान किया गया है जबकि इन भू-खण्डों की रजिस्ट्री स्थल निरीक्षण व पैमाइश के उपरान्त दिनांक 27 जनवरी, 2006 को पार्ट ले-आउट स्वीकृत होने के पश्चात् दिनांक 24 फरवरी, 2020 तक रजिस्ट्री सम्पन्न की जा चुकी हैं ?

(ग) क्या उपरोक्त भू-खण्डों की भूमि दिनांक 10 जनवरी, 1985 को नजूल अनुभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी थी जिस पर 80 भू-खण्ड आवंटित हुए, उन पर हुए अवैध कब्जों के लिए कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी हैं ?

(घ) उक्त स्थल पर आवंटित भू-खण्ड स्वामियों को कब तक वास्तविक कब्जा प्रदान किया जाएगा तथा लगभग 232 अवैध कब्जाधारियों के द्वारा किए गए अनाधिकृत कब्जों को कब तक हटाया जायेगा ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 30 — मुख्य मंत्री

30-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ कैण्ट में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए कमाण्ड अस्पताल से कुँवर जगदीश चौराहा होकर पुरानी जेल रोड बंगला बाजार होते हुए बिजनौर की तरफ से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनाने के सम्बन्ध में पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के पत्र पर लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो जनहित में उस पर स्वीकृति कब तक प्रदान करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 31	31-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के वार्ड संख्या-37, दनियालपुर में पूर्व पार्षद दूधनाथ राजभर के आवास से पंचकोशी मार्ग तक लगभग 50 मीटर क्षेत्र में सीवर लाइन एवं सड़क/चौका पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त क्षतिग्रस्त सीवर लाइन एवं चौका का पुनर्निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	नगर विकास मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 32	32-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि नाबार्ड योजनान्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज में ग्राम बरियारपुर व लक्ष्मीपुर एकडंगा के मध्य हिरने नाले पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग बनाए जाने सम्बन्धी आगणन प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता सेतु लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अनुभाग-9 को प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) कब तक जनहित में सेतु का निर्माण करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 33	33-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत-खालगांव में हरिहरपुर से कंचनपुर तक की दूरी जो लगभग 2500 मी0 है, का मार्ग बहुत ही खराब है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त रोड का निर्माण/मरम्मत करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 34	34-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला की ग्राम पंचायत-खालगांव में खालगांव से करौंदी तक की दूरी जो लगभग 900 मी0 है, का मार्ग बहुत	मुख्य मंत्री

ही खराब है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
35

35-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला की ग्राम खालगांव में प्राथमिक विद्यालय खालगांव से मगरबाग तक की दूरी जो लगभग 2.5 किमी0 है, का मार्ग बहुत ही खराब है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
36

36-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुरमथुरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरैया मसूदपुर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त ग्राम पंचायत की आबादी से मिली हुई उत्तर की ओर स्थित झील पर निर्मित लगभग 50 वर्ष पुरानी पुलिया वर्तमान में जर्जर अवस्था में है ?

(ग) तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण उक्त पुलिया के जर्जर होने से ग्रामीणों को विशेषकर वर्षा ऋतु में आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(घ) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु पुलिया की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
37

37-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के सेक्टर-11 राजाजीपुरम में ई-5060 के पास लगे खम्भों में लगी एल0ई0डी0 लाइट कम रोशनी देती

नगर विकास मंत्री

है व ई-5066 के पास चौराहे पर लगा खम्भा जो चारो तरफ प्रकाश की व्यवस्था करता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त चौराहे एवं गली में ई-5064 के आस-पास अन्धेरा बना रहता है ?

(ग) क्या उक्त चौराहे पर एक अतिरिक्त लाइट लगवायेंगे व ई-5060 वाले खम्भे में बदलकर एक नई लाइट लगवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 38 — 38-[अन्तरित]

श्री पवन कुमार सिंह 39 — 39-(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के नगर निगम वार्ड फैजुल्लागंज प्रथम के अन्तर्गत श्रीनगर कालोनी में राहुल राजपूत के मकान से विजय श्रीवास्तव के मकान तक के रास्ते की दूरी जो लगभग 90मी0 है, बहुत ही जर्जर है जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ? — नगर विकास मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर आर0सी0सी0 का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 40 — 40-[अन्तरित]

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड कुम्भी गोला, ग्राम-सिकन्द्राबाद में श्री विमलेश कुमार के मकान (सिकन्द्राबाद-गोला रोड) से मोहम्मदीपुर रोड (भारतीय स्टेट बैंक) तक लम्बाई लगभग 330 मी0 सड़क का डामरीकरण निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड कुम्भी गोला, ग्राम-सिकन्द्राबाद-गोला रोड में श्री विमलेश कुमार के मकान (सिकन्द्राबाद-गोला रोड) से मोहम्मदीपुर रोड (भारतीय स्टेट बैंक) तक लम्बाई लगभग 330 मी0 सड़क का डामरीकरण निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, जो जर्जर एवं आधा खड़न्जा तथा आधा कच्चा है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल तथा वहाँ के कृषकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग को डामरीकरण का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-कुम्भी गोला, ग्राम-सिकन्द्राबाद में श्री विमलेश कुमार के मकान (सिकन्द्राबाद-गोला रोड) से मोहम्मदीपुर रोड (भारतीय स्टेट बैंक) तक लम्बाई लगभग 330 मी0 सड़क का डामरीकरण निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-ऐलिया के ग्राम सरैया, पोस्ट-सहसापुर के अन्तर्गत ग्राम-सरैया से प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर तक लगभग 01 किमी0 सड़क का इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-ऐलिया के ग्राम-सरैया, पोस्ट-सहसापुर के अन्तर्गत ग्राम-सरैया से प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर तक लगभग 01 किमी0 सड़क का इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-ऐलिया के ग्राम-सरैया, पोस्ट-सहसापुर के अन्तर्गत ग्राम-सरैया से प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर तक लगभग 01 किमी0 सड़क का इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत ग्राम पंचायत कंडारी अन्तर्गत भगौती प्रसाद के घर से लेकर इण्टरलॉकिंग रोड तक लगभग 200 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला कंडारी अन्तर्गत भगौती प्रसाद के घर से लेकर इण्टरलॉकिंग रोड तक लगभग 200 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। मार्ग पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों तथा वाहनों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत ग्राम पंचायत कंडारी भगौती प्रसाद के घर से लेकर इण्टरलॉकिंग रोड तक लगभग 200 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मानननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार के अन्तर्गत पप्पू मास्टर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 180 मी0 में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड पहला, ग्राम पंचायत कोरार के अन्तर्गत पप्पू मास्टर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 180 मी0 में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। मार्ग पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे स्कूल के छात्रों, ग्रामीणों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है, सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार में पप्पू मास्टर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 180 मी0 इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के नगर निगम के विकास खण्ड सरोजनीनगर में नटकुर रोड पर पंचमुखी हनुमान मन्दिर के बगल से गोकुलधाम सोसायटी तक 500 मी0 सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त निवासीगण जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर में नटकुर रोड पर पंचमुखी हनुमान मन्दिर के बगल से गोकुलधाम सोसायटी तक 500 मी0 सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, सड़क न होने के कारण निवासियों को आने-जाने में काफी परेशानी का समाना करना पड़ रहा है, सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-लखनऊ के नगर निगम के विकास खण्ड सरोजनीनगर में नटकुर रोड पर पंचमुखी हनुमान मन्दिर के बगल से गोकुलधाम सोसायटी तक 500 मी0 सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-रायबरेली के तहसील सदर के वार्ड-18 जैतूपुर दिनेश सिंह के मकान के पास से होते हुए श्रीकान्त त्रिपाठी के मकान होते हुये ममता लोधी प्रधान के घर होते हुए सियाराम लोधी के घर होते हुए लालजी पटेल के घर के आगे तक लगभग 950 मी0 सड़क टाइल्स इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 सड़क, सीवर लाइन, दोनों तरफ नाली, सोलर लाइट, मास्क लाइट, छोटी वाली पानी की टंकी आदि कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-रायबरेली के तहसील सदर के वार्ड-18 जैतूपुर दिनेश सिंह के मकान के पास से होते हुए श्रीकान्त त्रिपाठी के मकान होते हुये ममता लोधी प्रधान के घर होते हुए सियाराम लोधी के घर होते हुए लालजी पटेल के घर के आगे तक लगभग 950 मी0 सड़क टाइल्स इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 सड़क, सीवर लाइन, दोनों तरफ नाली, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, मास्क लाइट, छोटी वाली पानी की टंकी आदि बनवाये जाने, कच्चा रास्ता अधिक खराब होने के कारण आयेदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिससे बरसात के दिनों में रास्ते में पानी भरा रहता है। जिससे आने-जाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-रायबरेली के तहसील-सदर के वार्ड-18 जैतूपुर दिनेश सिंह के मकान के पास से होते हुए श्रीकान्त त्रिपाठी के मकान होते हुये ममता लोधी प्रधान के घर होते हुए सियाराम लोधी के घर होते हुए लालजी पटेल के घर के आगे तक लगभग 950 मी0 सड़क टाइल्स इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 सड़क, सीवर लाइन, दोनों तरफ नाली, सोलर लाइट, मास्क लाइट, छोटी वाली पानी की टंकी आदि कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।